कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तरकाशी

आदेश संख्या/प्रा.शि./157/ स.अ.(वि०शि०)/2025-26 दिनांक 09/06/2025

विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के आदेश संख्या/प्रा.शि./02/स.अ.(वि०शि०)/2023-24 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के द्वारा सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों पर नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित वाद एवं उनमें पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में उक्त भर्ती स्थगित रही है। मा. उच्च न्यायालय, उतराखण्ड में योजित वाद के अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाने व मा. न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेशों के अनुपालन करने के मददेनजर व अन्य उत्पन्न परिस्थितियों के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 301551 दिनांक 28 मई, 2025 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25-03-2023 को संशोधित किया गया है।

पूर्व विज्ञप्ति के द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 301551 दिनांक 28 मई, 2025 के अनुसार ही पात्र अभ्यर्थियों की तैयार मेरीट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। नये आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। विज्ञप्ति की शेष शर्ते यथावत् लागू होगी तथा विज्ञप्ति दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-05-2025 की प्रति, पात्र अभ्यर्थियों की सूची, अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं संशोधित पदों का आरक्षणवार विवरण विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो ऐसे अभ्यर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/दस्ती/ईमेल deo.uttarkashi@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन/काउंसलिंग की तिथि दिनांक 24-06-2025 (मंगलवार) को पी०एम०श्री०रा०आ०की०इ०का० उत्तरकाशी के सुमन सभागार में प्रातः 10:00 बजे निर्धारित की जाती है। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किये जाने का दावा मान्य नही होगा तथा काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु भविष्य में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
जनपद का नामः उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner